आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्याः 384/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

इण्डियन बैंक, एसएफ 50, जेटीएम जगतपुरा फ्लाईओवर के पास, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर।

प्रार्थी

वित्तिय बैंक

बनाम

1. मैसर्स ग्रीन फिल्ड फूड प्रोडक्ट्स जरिये प्रोपराईटर श्री नमित मेहता,
   पता :– खसरा नम्बर 80/2179, ग्राम पाथरेडी, तहसील पावटा, कोटपूतली, जयपुर।
2. श्री नमित मेहता पुत्र श्री आर.सी. मेहता,
3. श्री रमेश चन्द मेहता पुत्र स्व0 श्री कान चन्द मेहता,
   पता :– फ्लेट नम्बर एस–2, द्वितीय तल, प्लॉट नम्बर बी–95ए, मोती डूंगरी स्कीम, दयानन्द मार्ग, तिलक नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002

उपस्थित :– श्री महेश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश **दिनांक : 12.08.2022**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी मैसर्स ग्रीन फिल्ड फूड प्रोडक्ट्स जरिये प्रोपराईटर नमित मेहता पुत्र श्री आर.सी. मेहता के स्वामित्व की औद्योगिक सम्पत्ति खसरा नम्बर 80/2179, ग्राम पाथरेडी, तहसील पावटा, कोटपूतली, जयपुर क्षेत्रफल 1.89 हैक्टेयर मय दृष्टिबंधक प्लांट, मशीनरी व स्टॉक को बन्धक रख कर दिनांक 19.12.2016 को रूपये 2,85,00,000, दिनांक 19.12.2016 को रूपये 2,05,00,000 एवं दिनांक 09.03.2018 को रूपये 4,00,00,000 कुल राशि 8,90,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 01.07.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को 8,90,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थी का ऋण खाता एन॰ पी॰ ए॰ घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज 8,13,73,962.86/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थी को दिनांक 01.07.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थी द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी मैसर्स ग्रीन फिल्ड फूड प्रोडक्ट्स जरिये प्रोपराईटर नमित मेहता पुत्र श्री आर.सी. मेहता के स्वामित्व की औद्योगिक सम्पत्ति खसरा नम्बर 80/2179, ग्राम पाथरेडी, तहसील पावटा, कोटपूतली, जयपुर क्षेत्रफल 1.89 हैक्टेयर मय दृष्टिबंधक प्लांट, मशीनरी व स्टॉक का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक **12.08.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)